मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11-4/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—चिकित्सा देयकों का समय-सीमा में निराकरण बावत्.

मानव अधिकार आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया है कि शासकीय सेवकों एवं उनके परिवारजनों की गंभीर बीमारियों के उपचार/इलाज के चिकित्सा देयकों का भुगतान समय पर नहीं होने से उपचार की निरन्तरता में कठिनाई आती है.

2. अत: शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा स्वत्वों के सामयिक निराकरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार अनरोध है:—

(1) शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयकों के भुगतान के लिये उपयुक्त समय-सीमा का निर्धारण किया जाये.

(2) कोषालय में प्रस्तुत देयकों में त्रुटि के प्रकाश में आने पर उसका तत्काल निराकरण कर कोषालय में देयक पुन: प्रस्तुत किया जाये.

(3) समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख एवं संभागीय अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित चिकित्सा देयकों आदि के प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा करें.

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी अधीनस्थ ईकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.